भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2774

जिसका उत्तर 20 दिसंबर, 2023 को दिया जाना है

वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को खनन पट्टा

2774. श्री नकुल के. नाथः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि छिन्दवाड़ा जिले की 4 नगर पंचायतों में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को दिया गया खनन पट्टा कई वर्ष पहले समाप्त हो गया था और निकट भविष्य में कोई परियोजना शुरू करने की कोई योजना अथवा प्रस्ताव नहीं था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को दी गई विशाल भूमि का अधिग्रहण करने और पिछले 60 वर्षों से वहां रह रहे डब्ल्यूसीएल के गरीब मजदूरों को पट्टे प्रदान करने का विचार है ताकि विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत उनके लिए घर बनाए जा सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : छिन्दवाड़ा जिले की चार नगर पंचायतों में कोयला के लिए खनन पट्टों की कुल संख्या चौदह हैं जिन्हें कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 की धारा 5(1) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा डब्ल्यूसीएल को दिया गया है। किसी भी पट्टे की समय सीमा समाप्त नहीं हुई है। इन पट्टों में कार्यशील और आगामी परियोजनाएं शामिल हैं।

(ख) और (ग) : भाग (क) में उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

****